रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 306] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 1974/आषाढ़ 21, 1896

No. 306] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 1974/ASADHA 21, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 12th July 1974

S.O. 428 (E).—Whereas the President has, by notification published in the Gazette of India, on the 12th July, 1974, called upon the elected members of the Legislative Assembly of Haryana State to elect two members to the Council of States.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints with respect to the said election—

(a) the 19th July, 1974 (Friday), as the last date for making nominations;

(b) the 20th July, 1974 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 22nd July, 1974 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 29th July, 1974 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 31st July, 1974 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 318/HN/74(1)]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1974

एस० ओ० 428(अ).—यतः, भारत के राजपत्र में तारीख 12 जुलाई, 1974 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राष्ट्रपति ने हरयाणा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से राज्य सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा की है :

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन के बारे में—

(क) नाम निर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख	19 जुलाई, 1974 (शुक्रवार) ;
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	20 जुलाई, 1974 (शनिवार) ;
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	22 जुलाई, 1974 (सोमवार) ;
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा ।	29 जुलाई 1974 (सोमवार); और
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा	31 जुलाई, 1974 (बुधवार)

एतद्द्वारा नियत करता है ।

[सं० 318/हर०/74(1)]

S.O. 429(E).—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 11.00 a.am to 3.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the biennial election to the Council of States to be held in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India on 12 July, 1974.

[No. 318/HN/74(2)]

एस० ओ० 429(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, भारत के राजपत्र में तारीख, 12 जुलाई, 1974 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा ।

[सं० 318/हर०/74(2)]

S.O. 430(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Haryana State hereby designates the Secretary, Haryana Legislative Assembly as the Returning Officer for the biennial election to the Council of States to be held in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India on 12 July, 1974.

[No. 318/HN/74(3)]

एस० ओ० 430 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग हरयाणा राज्य सरकार के परामर्श से, भारत के राजपत्र में तारीख 12 जुलाई, 1974 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए सचिव, हरयाणा विधान सभा, को रिटार्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है।

[सं० 318/हर०/74/(3)]

S.O. 431(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Deputy Secretary, Haryana Legislative Assembly to assist the Returning Officer for the Biennial election to the Council of States to be held in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India on 12 July, 1974.

[No. 318/HN/74(4)]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

एस० ओ० 431 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में तारीख 12 जुलाई, 1974 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की सहायता करने के लिए उप सचिव, हरयाणा विधान सभा की एतद्द्वारा नियुक्ति करता है।

[सं० 318/हर०/74(4)]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974